© INNOVATIVE RESEARCH THOUGHTS | Refereed | Peer Reviewed | Indexed
ISSN : 2454 – 308X | Volume : 03 , Issue : 06 | July - September 2017

शिक्षा का अधिकार अधिनियम - 2009 की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना

मीनू

सार : निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक, (RTE)- 2009 भारतीय संसद द्वारा सन् २००९ में पारित शिक्षा सम्बन्धी एक विधेयक है। इस विधेयक के पास होने से बच्चों को मुफ़्त और अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल गया है। संविधान के अनुच्छेद 45 में 6से 14 बर्ष तक के बच्चों के लिये अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गयी है तथा 86 वें संशोधन द्वारा 21 (क) में प्राथमिक शिक्षा को सब नागरिको का मूलाधिकार बना दिया गया है। यह 1 अप्रैल 2010 को जम्मू - कश्मीर को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में लागु हुआ। विधेयक के उद्देश्यों एवं कारणों में कहा गया है कि छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को नि:शुन्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करने के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम 2009 अधिनियमित किया गया था और यह एक अप्रैल 2010 से लागू हुआ था |

मुख्य शब्द : शिक्षा का अधिकार , प्राथमिक शिक्षा , अनिवार्य शिक्षा

परिचय : शिक्षा किसी भी व्यक्ति एवं समाज के समग्र विकास तथा सशक्तीकरण के लिए आधारभूत मानव मौलिक अधिकार है। यूनेस्को की शिक्षा के लिए वैश्विक मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2010 के मुताबिक, लगभग 135 देशों ने अपने संविधान में शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है तथा मुफ्त एवं भेदभाव रहित शिक्षा सबको देने का प्रावधान किया है। भारत ने 1950 में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा देने के लिए संविधान में प्रतिबद्धता का प्रावधान किया था। इसे अनुच्छेद 45 के तहत राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धातों में शामिल किया गया है। 12 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया और इसके अनुच्छेद 21ए को संशोधित करके शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया है।

निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख प्रावधान :

प्राथमिक शिक्षा में प्रथम कक्षा से आठवीं कक्षा तक की शिक्षा शामिल है।

1. **अनिवार्य शिक्षा-सरकार का दायित्व है कि:**
   - 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा उपलबध करवाए।
   - 6 वर्ष से सा 4 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे का अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति व शिक्षा की समाप्ति सुनिश्चित करे।
2. **निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार:**
   - 6 वर्ष से ता 4 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपनी नजदीकी सरकारी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा और इसके लिए उसे किसी प्रकार का शुल्क या अन्य खर्चे नहीं देने होंगे। (धारा 3)
   - यदि 6 से 14 वर्ष आयु का कोई बच्चा किसी विद्यालय में प्रवेश न होने के कारण प्राथमिक शिक्षा से वंचित है, तो उसे उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा और ऐसे बच्चे 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद भी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक निःशुल्क शिक्षा पाने के अधिकारी होंगे। (धारा 4)
3. **सरकार स्थानीय-प्राधिकारी व माता-पिता का कर्त्तव्य:**

   i. इस अधिनियम के प्रावधानों के अग्रसरण में सरकार तथा स्थानीय प्राधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के भीतर जहाँ विद्यालय नहीं है, इस अधिनियम के प्रभावी होने के तीन वर्ष के भीतर अपने क्षेत्राधिकार की सीमाओं में विद्यालय स्थापित करेंगे (धारा 6)

   ii. केन्द्र सरकार:

   (अ) शैक्षिक प्राधिकारी की मदद से एक राष्ट्रीय ढाँचा विकसित करेगी, जो निम्नलिखित पर ध्यान देगी-

   - बच्चों का बहुमुखी विकास।

- संविधान में समाहित मूल्यों का विकास ।
- अधिकतम स्तर पर मानसिक व शारीरिक क्षमताओं का विकास ।
- बालकों को बालक केन्द्रित व बालक मित्रवत् तरीके से गतिविधियों द्वारा सिखाना ।
- निर्देशों का माध्यम जहाँ तक हो सके बच्चों की मातृभाषा में होगा ।
- बच्चों को भयमुक्त बनाना और अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने में मदद करना
- बच्चों की समझने की क्षमता का लगातार विश्लेषण और उसे उसकी सामर्थ्य पर लागू करना । (धारा 29) ।

iii. समुचित राज्य सरकार

- प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाएगी।
- नजदीक में स्कूल की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी ।
- यह भी सुनिश्चित करेगी कि गरीब वर्ग का कोई भी बालक किसी भी कारण से प्राथमिक शिक्षा से वंचित न रहे ।

iv. स्थानीय प्राधिकारी

- प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएंगे ।
- अपने क्षेत्राधिकार में वर्ष तक के बच्चों का रिकॉर्ड रखेंगे ।
- अपने क्षेत्राधिकार में प्रत्येक बच्चे के प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश, उपस्थिति व समाप्ति को सुनिश्चित करेंगे ।
- शैक्षणिक कैलेण्डर निर्धारित करेंगे (धारा 9) ।

v. माता-पिता या संरक्षक का दायित्व

- अपने बच्चों को नजदीकी विद्यालय में प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना (धारा 10) ।
- बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने से पूर्व स्कूल (Pre-school) पूर्व शिक्षा
- की आवश्यक व्यवस्था सरकार करेगी (धारा 11) ।
- विद्यालय व शिक्षकों का दायित्व

i. अधिनियम के उद्देश्यों के लिए विद्यालय-

- (क)प्रवेश दिए गए सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देंगे ।
- (ख)जिसमें 25 प्रतिशत कमजोर तथा वंचित वर्ग के बच्चे शामिल होंगे (धारा 12)

उपसंहार : संविधान (छियासीवां संशोधन) अधिनियम, 2002 ने भारत के संविधान में अंत: स्थापित अनुच्छेद 21-क, ऐसे ढंग से जैसाकि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 में बच्चों का अधिकार, जो अनुच्छेद 21क के तहत परिणामी विधान का प्रतिनिधित्व करता है, का अर्थ है कि औपचारिक स्कूल, जो कतिपय अनिवार्य मानदण्डों और मानकों को पूरा करता है, में संतोषजनक और एकसमान गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रांरभिक शिक्षा के लिए प्रत्येक बच्चे का अधिकार है।

सन्दर्भ सूचि :

1. निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009
2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की प्रमुख विशेषताएं
3. http://mhrd.gov.in/hi/rte-hindi
4. http://www.essaysinhindi.com/education/शिक्षा का अधिकार अधिनियम
5. http://www.drishtiias.com/hindi/current-affairs/right-to-education